न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्या:-32 / 2019 / आवेदन अ0 धारा 111, 118 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956

1. गजानन्द पुत्र रामदेव जाति ब्राहमण निवासी मगनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

-प्रार्थी

ब ना म

1. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

-अप्रार्थी

आवेदन अंतर्गत धारा 111, 118 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः

1. श्री रेखराज पारीक वकील प्रार्थी की ओर से।

निर्णय **दिनांक . 04.01.2021**

1. आवेदन में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 141 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 142 रकबा 0.62 है0 किता 2 कुल रकबा 0.7900 हैक्टर वाके ग्राम मगनपुरा पटवार हल्का बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है दिनांक 14.06.2018 को पटवार हल्का बाय द्वारा करवाये गये सीमाज्ञान पर प्रार्थी की कृषि भूमि पर सीमा बनी हुयी है। प्रार्थी कि उक्त कृषि भूमि कि सीमा सही स्थिति में है। वर्णित कृषि भूमि पर सीमा ज्ञान के बाद प्रार्थी अपनी उक्त निर्धारित सीमा पर अपनी फसलों को जानवरों से बेचान के लिए एवं सुरक्षा के लिए पक्की सीमाचिन्ह् (पत्थरगढी) करवाना चाहता है, ताकि अपनी सम्पति की सुरक्षार्क्ष तारबन्दी कर सके। प्रार्थी पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) में राजकीय खर्चा जो लगेगा वह प्रार्थी आदेशानुसार देने को तैयार है। प्रार्थी की ग्राम मगनपुरा में अवस्थित कृषि अराजियात भूमि खसरा नम्बर 141 एवं 142 की पुख्ता चिन्ह कायम किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना उचित, आवश्यक व न्यायसंगत है।
2. आवेदन पेश होने पर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। आवेदन अंतर्गत धारा 111, 118 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

3. आवेदन पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम मगनपुरा पटवार हल्का बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमान्दी संवत् 2072–75 के अवलोकन सें स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 141, 142 किता 2 कुल रकबा 0.79 हैक्टर की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिसका सीमाज्ञान पटवारी हल्का बाय दिनांक 14.06.2018 को सीमाज्ञान करवाया गया है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने की अधिकारी है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार योग्य है। अतः आदेश है कि प्रार्थी का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर सीमाज्ञान दिनांक 14.06.2018 के मुताबिक पत्थरगढी करवाये जाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ नियमानुसार प्रार्थी की आवेदित भूमि पर अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदि नहीं होने की स्थिति में पत्थरगढी करवावें तथा आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करें। पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ